

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:— 133 / 121 दिनांक, पौड़ी, जुलाई 19, 2024.
सेवा में:

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय— मां मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का वन भूमि हस्तान्तरण।

सन्दर्भ— PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/146251/2021
महोदय, आपकी पत्र सं 2310 / 12-1 दिनांक 10.05.2024

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 7061 / 12-1 दिनांक 29.06.2024 से अवगत कराया गया है कि नोडल स्तर से चाही गई सूचना का निराकरण प्रस्तावक विभाग प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 1075 / 10 ऐल०५० दिनांक 30.05.2024 से प्रभागीय कार्यालय बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया है, प्रस्तावक विभाग एवं प्रभागीय कार्यालय से सम्बन्धित सूचना निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है—

क्र.	नोडल कार्यालय द्वारा चाही गई सूचना	निराकरण
1	प्रस्ताव में एन.पी.वी.० की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रचलित दरों के अनुसार आकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 7061 / 12-1 दिनांक 29.06.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में पूर्व में हो एन.पी.वी. की धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रचलित दरों के अनुसार आकलन कर प्रस्ताव में पेज संख्या 110 पर संलग्न है।
2	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है—	
a	In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08.06.2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में पूर्व में वन्यजीव प्रबन्धन योजना एवं मृदा जल संरक्षण योजना संलग्न किया गया है जो प्रस्ताव में अन्तिम पृष्ठ में संलग्न है।
b	The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from the tune of 2% and/or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

3	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्नक-01)
4	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र को स्थिरीकरण किया जायेगा कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जाय, का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-02)
5	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-03)
6	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में विभाजित किया जायेगा की वह Stabilized हो जाय, ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण किया जा सके, का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-04)
7	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-05)
8	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैकटीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फार्मोरस प्रदान करते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीक को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु का अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः पेज 03 पर

10	वैकल्पिक/औचित्य— प्रयोक्त एजेंसी मलबा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियाँ दें।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि मलबा निपटान के लिए ली गयी वन भूमि के सम्बन्ध में औचित्य/टिप्पणियाँ दी गई हैं। (संलग्नक-6)
11	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि सड़क की आवश्यकता का औचित्य पूर्व में ही प्रस्ताव के पंज संख्या 16 पर संलग्न है।
12	केएमएल फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाए। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग—अलग रंगों से चिह्नित किया जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ से विकासखण्ड थराली के रुईसांग हेतु प्रस्तावित सड़क में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के अन्तर्गत एकमात्र गांव स्यारी-बंगाली है तथा इससे जुड़ने वाली एकमात्र सड़क घाट-बांजबगड़-बंगाली मोटर मार्ग है, जो केएमएल फाइल में existing रोड दर्शित है जिसे बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। लाभान्वित होने वाले गांवों को उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अलावा अन्य कोई सड़क से लाभान्वित नहीं हो रहा है। प्रस्तावित सड़क के संरेखण का अन्तिम बिन्दु सुपताल है। रुईसांग से सुपताल तक मार्ग का निर्माण/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा तैयार किया जा रहा है उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से विकासखण्ड घाट से विकासखण्ड थराली के गांव को जोड़ते हुए थराली मुख्यालय जुड़ जायेगा।
13	बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वन भूमि और गैर-वन भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग—अलग रंगों का उपयोग करके बार चार्ट अपलोड किया जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए अलग—अलग रंगों से रेखांकित कर दिया गया है। (संलग्नक-7)
14	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि एस0आई0आर0 संलग्न प्रारूप में भरकर परिवेश पोर्टल के पार्ट ।। में अपलोड कर हार्ड प्रति में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-8)
15	प्रस्तावक विभाग को एक शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फैली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-9)

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकर्ष कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

OIC

JAIDEEP

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no.01372-252175

पत्रांक १०६१ / १०-१, गोपेश्वर,
सेवा में,

दिनांक

२९/०६/ 2024 |

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

मा० मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के विकासखण्ड घाट में बंगली(बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का वन भूमि हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या २३१०/१२-१ दिनांक १०.०५.२०२४.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कठिपय अतिरिक्त सूचना चाही गयी, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग द्वारा अपने पत्र सं० १०७५ / १०एल०८० दिनांक ३०.०५.२०२४ से सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस वन प्रभाग से सम्बन्धित सूचना जो निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्रस्ताव में चाही गयी सूचना	आव्याप्ति
1.	प्रस्ताव में एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रचलित दरों के अनुसार आंकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करे।	प्रस्ताव में पूर्व में ही एन०पी०वी० की धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रचलित दरों के अनुसार आंकलन कर प्रस्ताव में पेज संख्या ११० पर संलग्न है।
2.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।	प्रस्ताव में पूर्व में वन्यजीव प्रबन्धन योजना एवं मृदा जल संरक्षण योजना संलग्न किया गया है जो प्रस्ताव में अन्तिम पृष्ठ में संलग्न है।
3.	In respect of linear project the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever's is more should be charge from the user agency	The provisions of wildlife management plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.35% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.
3	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना उचित होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न-१)
4	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की स्थिरीकरण किया जायेगा कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जाय। का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-२)
5.	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	प्रयोक्ता द्वारा डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है (संलग्न-३)
6.	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लीप को वैंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रयोक्ता द्वारा मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लीप को वैंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह stabilized किया जायेगा, ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण किया जा सके। का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-४)
7.	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा	प्रभाग द्वारा पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग द्वारा विकसित

	विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	जैव-उर्वरक तकनीकी को अपनाया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है) (संलग्न-5)
8.	मलवा निस्तारण रथल को बनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular mycorrhizal (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिकिंसग वैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधों की जड़ों पर उगत हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फारफोरस प्रदान करते हैं।	वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
9.	प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण रथल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाय कि अन्य रथलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त विन्दु का अनुपालन किया जायेगा।
10.	वैकल्पिक / औचित्य प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (के0एम0एल0 फाईल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डपिंग जोन के लिए उचित औचित्य / टिप्पणियां देगी।	मलवा निपटान के लिए ली गयी वन भूमि के सम्बन्ध में औचित्य / टिप्पणियां दी गयी हैं। (संलग्न-6)
11.	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क को आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क की आवश्यकता का औचित्य पूर्व में ही प्रस्ताव के पेज संख्या 16 पर संलग्न है।
12.	के0एम0एल0फाईल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाय।	विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ से विकासखण्ड थराली के रुईसांग हेतु प्रस्तावित सड़क में इस खण्ड के अन्तर्गत एकमात्र गांव स्थारी - बंगली है तथा इससे जुड़ने वाली एकमात्र सड़क घाट - बांजबगड़ - बंगली मोटर मार्ग है, जिसे केमल फाईल में existing रोड दर्शित है जिसे बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। लाभान्वित होने वाले गांव को उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अलावा अन्य कोई सड़क से लाभान्वित नहीं हो रहा है। प्रस्तावित सड़क के संरेखण का अन्तिम विन्दु सुपताल है। रुईसांग से सुपताल तक मार्ग का निर्माण/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा तैयार किया जा रहा है उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से विकासखण्ड घाट से विकासखण्ड थराली के गांव को जोड़ते हुए थराली मुख्यालय जुड़ जायेगा।
13.	बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वन भूमि और गैर वन भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग - अलग रंगों का उपयोग करके बार चार्ट अपलोड किया जाए।	बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए अलग - अलग रंगों से रेखांकित कर दिया गया है संलग्न है। (संलग्न-7)
14.	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करे।	एस0आई0आर0 संलग्न प्रारूप में भरकर परिवेश पोर्टल के पार्ट 11 में अपलोड कर हार्ड प्रति तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-8)
15.	प्रस्तावक विभाग को एक शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गदांगी नहीं फैकी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शापथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न-9)

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:- १०६१ / १२-१ दिनांकित।


प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,


(सुरेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


(सुरेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:- मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 7.95 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल पर मलवा डाले जाने के पश्चात समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु जो वनभूमि प्रस्तावित की गयी है। उसमें मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

Law
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)।

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु ७.९५ है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

मलवा निस्तारण हेतु मलवे को सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण कर प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु जो वनभूमि प्रस्तावित की गयी है। उसमें मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जायेगा, ताकि प्रस्तावित स्थल को उपयोग में लाया जा सके।

law
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग (चमोली)।

परियोजना का नाम:- मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 7.95 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु जो वनभूमि प्रस्तावित की गयी है। उसमें डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

Law

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)।

परियोजना का नाम:- मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 7.95 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बैचेस के रूप में **Stabilized** करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु जो वनभूमि प्रस्तावित की गयी है। उसमें मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बैचेस में इस प्रकार विभाजित किया जायेगा कि वह **Stabilized** हो जाय, ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो सके।

lawn
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)।

प्रस्ताव का नाम— मा० मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली(बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसाण तक मार्ग के नव निर्माण ७.९५ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इन्वारमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जायेगा।

H. A. Sharma
प्रभागीय वनाधिकारी,
बुद्धीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रुईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 7.95 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


वैकल्पिक / औचित्य प्रयोक्ता एजेंसी मलवा निपटान साइट का प्रमाण पत्र

वैकल्पिक / औचित्य मलवा निपटान साइट के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण (जिसकी लम्बाई 11.625 कि.मी.) में आरक्षित वनभूमि (6.975 कि.मी.), सिविल वनभूमि (1.775 कि.मी.) एंव नापभूमि (2.875 कि.मी.) से होकर गुजर रही है। जिसका अधिकांश भाग वनभूमि से होकर जा रहा है, इसलिए मक डम्पिंग स्थल वनभूमि में चयनित किया गया है। प्रस्तावित संरेखण का नाप भूमि वाले भाग में भू-स्वामियों की उपजाऊ भूमि में 6 मक डम्पिंग जोन प्रस्तावित है। सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवे के आंकलन के अनुसार ही मक डम्पिंग स्थल चयनित किये गये हैं। प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना संलग्न किया गया है।

law
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग (चमोली)।

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

BAR CHART



मान सहायक अधिकारी
प्रशासन अधीक्षण, सौ.पि.वि.
कर्नप्रयाग

सहायक अधिकारी
प्राप्त छाप १०० प्र० १५०
कर्नप्रयाग

Executive Engineer
Pro. Div. Public Works Department
Karnaprayag

प्र० १५०

संलग्न - ०८(०१)

Checklist for site inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

Project Name- Construction of Banjbagarh-Ruisaan motor road under in Tharali constituency under H'nable chief minister declaration no. 415/2018

Sl. No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1.	Extent in Hectares	7.95 Hectare
2.	Location (Lat – Log) of the forest land proposed for diversion.	As per georeference map attached in proposal.
3.	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	RF and Civil Soyam
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5.	Any signs of encroachment.	No
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Eco Class – V Density – 0.3 Tree marked for felling in forest – 357 And nap land - 88
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	No
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No
10.	Current land use is this managed as per prescriptions in the working Plan and if not why?	NA
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	No
12.	Any dependent persons/ families on this land.	No
13.	Any displacement of persons proposed.	No
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected ? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	No

15.	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current working plan prescription for the area ? Distance of the non – forest land for CA from the nearest forest area. Number of Patches in case the area should be more than to Kms.	CA proposed is as a Civil Soyam land. 1- CA area name - Bangali Civil soyam 2- CA area- 15.90 ha (4 patches) CA area is not prescribed in working plan.
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	Not falls in any WLS. The proposed area is 29.6 Km from nearest Nanda Devi national park.
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribalshave been recognized in this area.	No
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	_____
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	No
20.	Alternatives examined by the User Agency in case of non – site specific project	Yes (Copy enclosed)
21.	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non – forestry purpose is bare minimum.	Yes
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	_____
23.	Any other issue of significance.	_____
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project	Public welfare.

Signature :

Name : Sarvesh Kumar

Designation : Divisional Forest Officer

Seal :

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनाधि
चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड धाट में
वंगाली (वांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक
मोटर मार्ग का नव निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत मोटर मार्ग के नव निर्माण व निर्माण सम्बद्धी

अन्य गतिविधियों के समय वनभूमि पर गन्दगी नहीं फेंकी जायेगी।

NK
राज्य सभा अधिकारी
मान्त्रिय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।